राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 578/2024

अब्दुल समद चिश्ती **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. शासन सचिव, गृह (लीगल), सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. निदेशक अभियोजन, सचिवालय, जयपुर।
4. श्री पंकज कुमार वर्मा, उप निदेशक, अभियोजन (मुख्यालय), निदेशालय, सचिवालय, जिला जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गौरव सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता/केविएटर

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधन अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निदेशक के पद पर अभियोजन

निदेशालय, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से संयुक्त निदेशक अभियोजन, उदयपुर किया गया है और आदेश दिनांक 26.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 31.03.2025 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। उसकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से भी कम का समय शेष रहा है। जबकि स्थानांतरण नीति के अनुसार यदि कार्मिक/अधिकारी की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम का समय शेष रहा है तो उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए और राज्य सरकार गृह (अभियोजन) विभाग के आदेश दिनांक 06.03.2006 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि *''सेवानिवृत्ति की अवधि में 2 वर्ष शेष रहने की सूरत में राज्य कर्मी को यथा संभव गृह जिले के पास उसके द्वारा ऐच्छिक जिले में यथा संभव पदस्थापन किया जायेगा।''* परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आदेश को नजरअंदाज करते हुये अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर जिले से कोटा जिला किया गया है। अपीलार्थी एसआईपीएफ आदि के दस्तावेज ट्रेजरी में प्रस्तुत कर चुका है। अपीलार्थी की माता जो 90 वर्ष की वृद्ध महिला है और वह गंभीर बीमारियों से पीडित हैं, जिनका ईएचसीसी चिकित्सालय में उपचार चल रहा है, जिनकी देखभाल हेतु अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग चाहे तो अपीलार्थी को जयपुर जिले में और भी पद रिक्त हैं, जहां पर पदस्थापन कर सकता है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को कोटा पदस्थापित किया गया है, जो वर्तमान परिस्थिति में नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 26.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर ली जानी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन उप निदेशक के पद पर अभियोजन निदेशालय, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से संयुक्त निदेशक अभियोजन, उदयपुर किया गया है और आदेश दिनांक 26.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 31.03.2025 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है। जहां तक अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष का समय शेष रहते हुए स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल स्पेशल अपील (डब्ल्यू) संख्या 586/2013 श्री मानसिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य निर्णय दिनांक 02.07.2014 में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"It remains trite that ordinarily on other of transfer/posting does not call for interference by the court unless the same is shown to be in violation of any statutory provision or suffering from malafide. From the observations as made in the order impugned, it does not appear if any such allegation was made or pressed before the learned single Judge. For want of any such case, in the order impugned, the learned single Judge has rightly observed in the very first place that the transfer is on incident of service and no interference was called for. In our view, after such observations, the writ petitioner was not entitled for any relief by the writ Court and that too without notice to the other side.*
>
> *In our view, the observations as made in Dr. (Smt.) Pushpa Mehta's case, peculiar to the facts therein, cannot be held laid down a law of universal application that the employer is never entitled to pass a transfer/posting order in relation to a person who is likely to retire after some time."*

उपर्युक्त न्यायिक विनिश्चयों के मद्देनजर अपीलार्थी, जिसकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से अधिक का समय शेष है, के प्रकरण में यह अधिकरण किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना विधि के अनुरूप समीचीन नहीं समझता है।

अपीलार्थी वर्ष 2021 से एक ही स्थान पर कार्यरत है और प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त

है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)